U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 51@2019

1. लाल मोहम्मद पुत्र घिसे शाह जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
2. गन्नी मोहम्म्द पुत्र घिसे शाह जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
3. हमीद मोहम्मद पुत्र घिसे शाह जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
4. साबिरा पुत्री घिसे शाह जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
5. मु0 खातुन बेवा अली मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू । (मृतक)
6. हुसेन पुत्र अली मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
7. बाबूलाल पुत्र अली मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
8. जबरदीन पुत्र अली मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
9. सोना पुत्री अली मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
10. जरिना पुत्री अली मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

vihykV

cuke

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

   रेस्पोडेन्ट

2. जैतुन पत्नी पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

3. इरफान पुत्र पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
4. तब्बु पुत्री पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
5. मुस्कान पुत्री पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
6. आसमा पुत्री पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
7. फरजाना पुत्री पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
8. किस्मत पुत्री पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।
9. साईना पुत्री पीर मोहम्मद जाति फकीर गौरी मुसलमान साकिन पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू ।

—गौण रेस्पोडेन्टस

mifLFkr%& 1. श्री कानसिंह राठोड अधिवक्ता अपीलांट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jrux< ds fu.kZ; o fMØh fnukad 21-08-2019 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.kZ; दिनांकः—27.05.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी रतगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 पुराना 24 नया 98 तादादी 15.04 बीघा, पुराना ख0न0 97 नया 120 तादादी 16 बीघा कुल तादादी 31.04 बीघा रोही ग्राम पडीहारी तहसील रतनगढ में अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर अपीलांट के पूर्वज व अपीलांट 73 वर्षो से कब्जा काश्त में चली आ रही है । जिसे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सिवाय चक

दर्ज कर दिया जिस बाबत एक दावा घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 188 एव 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 पुराना 24 नया 98 तादादी 15.04 बीघा, पुराना ख0न0 97 नया 120 तादादी 16 बीघा कुल तादादी 31.04 बीघा रोही ग्राम पडीहारा तहसील रतनगढ में स्थित है । जो की अपीलांट/वादी के पूर्वज दादा हीरा पुत्र मोकम शाह, घीसा, अलीमोहम्मद की जागीरदारी समय से कृषि भूमि कब्जा काश्त की चली आ रही है । इस वादगत भूमि को अपीलांट के दादा हीरा वल्द मोकम शाह ने 73 वर्ष पूर्व उचें उचें टिलो की भूमि को सारसंभाल कर काश्त योग्य बनाया गया था जिस पर अपीलांट/वादी के पूर्वज व वारिसान पिडीयों से खुद काश्त करते आ रहे है । वादगत कृषि भूमि अपीलांट/वादी के खुदकाश्त खातेदारी की भूमि है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व अपीलांट/वादी के पूर्वजो की काश्त होने से अपीलांट खातेदार काश्तकार हो चुका है । समस्त राजस्व रेकार्ड में अपीलांट/वादी खातेदार काश्तकार दर्ज है । लेकिन सेटलमेंट विभाग ने बिना कब्जा काश्त व मौका की जांच किये, बिना सुनवाई, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अनाधिकार पूर्ण रूप से सरकारी भूमि सिवायचक दर्ज कर दी थी जबकि भूप्रबन्ध विभाग को पूराना राजस्व रेकार्ड की पूनरावृति करनी थी इस प्रकार राजस्व रेकार्ड की अनदेखी कर निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद को साबित करने के लिये मिसल बंदोबस्त जमाबंदी संवत 2000,2010,2011 से 2014, 2015 से 2018, 2022 से 2025 व गिरदावरियों संवत 2008 से 2030 तक आदि पेश की तथा जवाब दावा प्रतिवादी तहसीलदार ने अपीलांट/वादी के खातेदारी संवत 2025 तक होनी स्वीकार की है व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 में भी कब्जा काश्त 60 वर्षों से अपीलांट/वादी व उसके पूर्वजों का चला आना स्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने ख0न0 24 के नये ख0न0 98, पुराना ख0न0 97 नया ख0न0 120 बनना स्वीकार किया है तथा संवत 2010 की जमाबंदी में अपीलांट/वादी के दादा हीरा वल्द मोकम, घीसा, अली मोहम्मद का नाम दर्ज होना स्वीकार किया है व जमाबंदी सवंत 2018 में लाल मोहम्मद आदि अपीलांट की खातेदारी होना स्वीकार किया है । यासिन पुत्र सुबराती ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कब्जा काश्त अपीलांट के हक में छोड़ दिया जिस कारण यासिन पुत्र सुबराती का संवत 2012 से कब्जा काश्त नही होने से राजस्व रेकार्ड से नाम हटाया जाकर अपीलांट का नाम खातेदारी दर्ज करना कानूनन बनता है परन्तु पेमाईस विभाग द्वारा कस्टोडियन, सिवायचक दर्ज करना किस नियम व किस कानून में किया गया का विवेचन नही किया है । पेमाईस विभाग द्वारा वादगत कृषि भूमि को कस्टोडियन व सिवाय चक दर्ज करने का कोई अधिकार हासिल नही था ओर ना ही उनके पास किसी सक्षम न्यायालय का आदेश था । उक्त वादगत कृषि भूमि में अपीलांट/वादी लाल मोहम्मद की भूमि को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवर्तन किया जाना अनाधिकार

पूर्ण व शुन्य करार योग्य है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2019 को खारिज किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादगत कृषि भूमि के पुराने ख0न0 24 तादादी 15.04 बीघा नये ख0न0 98 तादादी 15.04, पुराना ख0न0 97 तादादी 16 बीघा नये ख0न0 120 तादादी 16 बीघा वाके रोही ग्राम पडिहारी में स्थित है । संवत 2010 की जमाबंदी में गत ख0न0 24 हीरा वल्द मोकम शाह के दर्ज रेकार्ड है । जमाबंदी संवत 2018 में लाल मोहम्मद वल्द घीसे शाह के नाम दर्ज है । वादगत कृषि भूमि गत पेमाईस के दोरान नये ख0न0 98, 120 तादादी 31.04 बीघा दर्ज किये गये है जिसके अनुसार भारत सरकार कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड है । उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट/वादी के पूर्वजो की 73 वर्षो से कब्जा काश्त की भूमि रही है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कस्टोडियन विभाग के नाम तथा वर्तमान में सिवायचक दर्ज चली आ रही है । सिवाय चक भूमि पर अपीलांट/वादी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2019 यथावत रखे जाने योग्य है ।

4. हमने अपीलांट पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जमाबदी संवत 2000,2010,2011 से 2014, 2015 से 2018, 2022 से 2025 तक लगातार पुराना ख0न0 24 तादादी 15.04 बीघा जिसके नये ख0न0 98 तादादी 15.04 बीघा, ख0न0 97 तादादी 16 बीघा से बने नये ख0न0 120 तादादी 16 बीघा मिलान क्षेत्रफल से बना होना साबित है । अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदिया सवंत 2000 से 2025 व गिरदावरिया संवत 2008 से 2030 से साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि अपीलांट के दादा हीरा वल्द मोकम शाह, घीसा, अली मोहम्मद व लाल मोहम्मद वल्द घीसे शाह के नाम से दर्ज थी । हीरा वल्द मोकम शाह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय टिनेन्ट थे व काश्तकार थे जो अधीनस्थ न्यायालय ने बखूबी साबित हुऐ है किन्तु गत पैमाईस सेटलमेंट विभाग द्वारा वादगत कृषि भूमि को कस्टोडियन/सिवाय चक दर्ज कर दिया गया । सेटलमेंट विभाग को माननीय राजस्व बोर्ड के निर्णय अनुसार खातेदारी अधिकारों को परिवर्तन करने, कम करने अथवा किसी प्रकार की तबदिली करने का क्षेत्राधिकार नही है बिना किसी सक्षम न्यायालय व अधिकारी के आदेश पुराने ख0न0 24 तादादी 15.04 बीघा, में नये ख0न0 98 तादादी 15.04 बीघा, पुराना ख0न0 97 से बने नये ख0न0 120 तादादी 16 बीघा का गलत अंकन कर कस्टोडियन /सिवायचक दर्ज किया जाना न्याय संगत व नियम संगत नही है । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में प्रदर्शित हुआ है कि वादगत कृषि भूमि पर अपीलांट/वादी का कब्जा 73 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट/वादी के पूर्वजो व खुद का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है किन्तु राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में सिवाय चक होने के कारण अपीलांट/वादी को सिवाय चक की भूमि पर खातेदारी का अधिकार नही दिया जा सकता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं भी

अंकित नही किया की अपीलांट/वादी के पूर्वजो की टिनेन्सी एक्ट लागु होने से पूर्व कब्जा काश्त की भूमि जो टिनेन्सी एक्ट लागू होने पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर भूप्रबन्ध विभाग द्वारा कस्टोडियन /सिवाय चक किस आधार पर दर्ज किया गया क्या सेटलमेंट विभाग को उस समय किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल था या कोई सक्षम न्यायालय का आदेश था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओ पर कोई विवेचना नही की गयी ओर सिधे ही सिवायचक की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिया जा सकता का निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है । उक्त विवेचन व विश्लेषन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तस्दीक शुद्वा राजीनामा /समझोता पत्र रेस्पो0 सं0 2 ता 9 द्वारा पेश किया है जिसमें वादी व गौण प्रतिवादी के सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हस्ताक्षर भी किये गये है । राजीनामा/समझोता पत्र के अनुसार सभी पक्षकारों (वादी/गोणप्रतिवादी) का वादगत भूमि में जितना हिस्सा बनता है के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व जमाबंदी में पेमाईस विभाग द्वारा गलत अंकन को अवैध शुन्य घोषित किया जाता है व रेकार्ड दुरूस्त किया जाकर सिवाय चक व यासिन पुत्र सुबराती का नाम राजिनामा व समझोता पत्र एवं खाते में अंकित हिस्से के अनुसार सम्पूर्ण भूमि का खातेदार वादी व प्रतिवादीगण का दर्ज किया जावे ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण से साबित होता है कि संवत 2012 यानि सन 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से व उससे पूर्व जमाबंदी संवत 2000,2010,2011 से 2014,2015 से 2018 व 2022 से 2025 तक राजस्व रिकार्ड में कालूशाह व उसके पूर्वजो के नाम खुद काश्त दर्ज है जो स्वतः ही काश्तकार/खातेदार बन चुके है उसको बिना किसी सक्षम आदेश के सेटलमेंट विभाग द्वारा कस्टोडियन एवम सिवायचक व यासिन पुत्र सुबराती दर्ज किया जाना अनुपयुक्त सिद्व होता है । उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2019 को अपास्त किया जाता है । वादगत भूमि के पुराना ख0न0 24 नया ख0न0 98 तादादी 15.04 ख0न0 97 नया ख0न0 120 तादादी 16 बीघा कुल तादादी 31.04 बीघा ग्राम पडिहारी तहसील रतनगढ में अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में संवत 2028 से पूर्व की पूर्ववत प्रविष्टि अंकित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 27.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkkjrh; iz'kklfud lsok vf/kdkjh ,o
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj